उत्तराखण्ड सूचना आयोग
संख्या 1466
05 FEB ...
देहरादून

संख्या: 73 /XXXI(15)G/17-51(सा0)/2018

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

U.S.
5/2/18

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों को निर्धारित अवधि तक रखे जाने व उसके बाद विनिष्टीकरण की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था समुचित रूप से लागू नहीं हो पा रही है। कार्यालयों में अभिलेखों के रख रखाव व विनिष्टीकरण की व्यवस्था न किये जाने से पुराने व अनुपयोगी अभिलेखों के अव्यवस्थित पड़े रहने से कार्यालयों में अनावश्यक स्थान घिरा रहता है जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। कई बार फाइलों में पुराने एवं महत्वहीन पत्रजातों के रक्षित होने के कारण नए पत्रों को तलाशने एवं तत्पश्चात कार्यालयी प्रकिया प्रारम्भ किये जाने में महत्वपूर्ण समय नष्ट होने के साथ साथ कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. शासनादेश संख्या-244/xxxi(13)G/2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 के द्वारा सभी अभिलेखों की अवधि के रख रखाव के निर्देशों का निर्धारण विस्तार से किया गया है। उक्त शासनादेश में विस्तार करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खोली गयी, पत्रावलियों, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है, ऐसे अभिलेखों के निर्दान (weeding) हेतु निम्नवत दिशा—निर्देश एतद्द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं:—

(क) ऐसी पत्रावली, जिसमें चाही गयी सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान की जा चुकी हो और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में दी गयी समयावधि के अन्दर प्रथम एवं द्वितीय अपील योजित नहीं हुयी हो, को सूचना प्रदान करने की तिथि के एक वर्ष बाद निर्दान (weeding) किया जाय।

(ख) ऐसी पत्रावली जिसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा किये गये विनिश्चय या दी गयी सूचनाओं से व्यथित होकर आवेदक ने प्रथम या द्वितीय अपील की हुयी हो और प्रकरण की प्रथम विभागीय अपील या द्वितीय अपील की सुनवायी लंबित हो या दी गयी

सूचना के सम्बन्ध में सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत जांच की रही हो, को प्रकरण के अंतिम निस्तारण की तिथि के एक वर्ष बाद निर्दान (weeding) किया जाय।

(ग) ऐसी पत्रावली जिसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा किये गये विनिश्चय या दी गयीं सूचनाऐं, प्रथम एवं द्वितीय अपील में किये गये विनिश्चय किसी अर्द्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण, सांविधिक निकाय, मा0 न्यायालय आदि में किसी वाद के अभिलेखों का भाग है, को प्रकरण के अंतिम निर्णय के तीन वर्ष बाद निर्दान (weeding) किया जाय।

(घ) ऐसे अनुरोध पत्रों से सम्बन्धित पत्रावली, जिसके सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से नियमानुसार शुल्क की मांग कर ली गयी हो और आवेदक के द्वारा न तो लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में शुल्क जमा किया गया हो और न ही अतिरिक्त शुल्क की मांग के विरूद्ध प्रथम अपील या आयोग में द्वितीय अपील/शिकायत प्रस्तुत की गयी हो ऐसे प्रकरणों को अनुरोध पत्र प्राप्त की तिथि से एक वर्ष बाद निर्दान (weeding) किया जाय।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः-73/XXXI(15)G/17-51(सा0)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रेश कुमार)
अपर सचिव